



2026:RJ-JP:6482

[2026:RJ-JP:6482]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16760/2025

Rajuddin @ Badshah S/o Jamiluddin @ Jameel, Aged About 36 Years, R/o Bagur Wali Masjid Ke Pass, Kaua Khoh, Chatikana, Karauli, Police Station Kotwali, Karauli, District Karauli (Rajasthan) (At Present Confined in District Jail Karauli).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2077/2026

Arif S/o Late Shri Masaluddin @ Maslo, Aged About 36 Years, R/o Near Bagur Wali Masjid, Kaua Kho Chatikana, Karauli, Police Station Kotwali Karauli, District Karauli (Rajasthan) (At Present Confined in District Jail Karauli, District Karauli).

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Jagmohan Bhardwaj, Adv. Mr. Lakhan Singh Jadoun, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Ms. Seema Kumari, Adv. For Mr. Malkhan Chaturvedi, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

11/02/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा



संहिता पुलिस थाना करौली, जिला करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 190, 191(2), 125(a), 126(2), 115(2), 103(1), 191(3), 333 भारतीय न्याय संहिता में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, दिनांक 24.08.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण में चश्मदीद साक्षीगण ने प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह द्वारा गण्डासे से मृतक के सिर पर मारना बताया है, गण्डासा प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह से बरामद नहीं हुआ है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह के आपराधिक कृत्य से मृतक की मृत्यु कारित हुई हो, अन्य आहतगण के शरीर पर आयी चोटें साधारण प्रकृति की हैं, अतः प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रार्थी/अभियुक्त आरिफ के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। घटना की रिपोर्ट में व साक्षीगण के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयानों में विनिर्दिष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त आरिफ ने मृतक हनीफ के कोई विनिर्दिष्ट चोट कारित की हो, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी हो अथवा आहतगण के कोई विनिर्दिष्ट चोट कारित की हो। सहअभियुक्त आशिक उर्फ काला का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 16161/2025 आदेश दिनांक 21.01.2026 के द्वारा इस न्यायालय की



समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त आरिफ का प्रकरण उससे भिन्न नहीं है, वह दिनांक 21.08.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है, उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त आरिफ की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वे लंबे समय से अभिरक्षा में हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में मृतक हनीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसके सिर पर चोट आयी थी, उस चोट के कारण मृतक की मृत्यु हुई है। घटना की रिपोर्ट में यद्यपि प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह द्वारा गण्डासे से मृतक के चोट मारना बताया गया है तथा अन्वेषण के दौरान परीक्षित कुछ साक्षीगण ने प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह द्वारा गण्डासे से मृतक हनीफ के सिर पर चोट मारना और खून आना बताया है। वहीं अब्दुल वसीम, यकीनुद्दीन, गुलफाम उर्फ राजा व अन्य व्यक्तियों ने अपने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान में प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह द्वारा हनीफ के सिर व छाती पर पत्थर से चोट मारना



बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह ने धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना में मृतक हनीफ के सिर व छाती पर पत्थर से मारने की बात बतायी है। अन्वेषण अधिकारी ने अनुसंधान में यह पाया है कि दिनांक 31.05.2025 को समय करीब 6 बजे मृतक हनीफ के लड़के नोमान द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित आरोपी साजिद उर्फ दिल्लू की पत्नी सुमाईला के साथ छेड़छाड़ कर दी, इस बात को लेकर दोनों पक्षों में पथराव हुआ और प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह द्वारा किये गये पथराव से मृतक हनीफ के सिर पर गंभीर चोटें आयीं तथा उक्त चोटों के कारण हनीफ की मृत्यु हो गयी।

वस्तुतः मृतक हनीफ के सिर पर चोटें पत्थर से आयीं या गण्डासे से तथा गण्डासा बरामद नहीं होने से उसका प्रकरण पर क्या प्रभाव होगा, इन समस्त तथ्यों का गुणावगुण पर अवधारण प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह माना जा सकता है कि प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह द्वारा मृतक हनीफ के सिर पर चोट मारने के कारण उसकी मृत्यु हुई। इस प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी और अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं।

ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त राजुद्दीन उर्फ बादशाह को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त आरिफ द्वारा मृतक हनीफ व अन्य आहतगण के शरीर पर चोट पहुंचाने का प्रश्न है, अन्य आहतगण के शरीर पर साधारण प्रकृति की चोटें आयी हैं। साक्षीगण ने विनिर्दिष्ट रूप से प्रार्थी/अभियुक्त आरिफ के बारे में यह नहीं बताया है कि उसके द्वारा कोई विनिर्दिष्ट चोट



पहुंचाने के कारण मृतक हनीफ की मृत्यु कारित हुई हो। प्रार्थी/अभियुक्त के समान प्रकृति के आरोपी सहअभियुक्त आशिक उर्फ काला का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 16161/2025 आदेश दिनांक 21.01.2026 के माध्यम से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त आरिफ का प्रकरण उससे भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त आरिफ के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त आरिफ को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **राजुद्दीन उर्फ बादशाह पुत्र जमीलुद्दीन उर्फ जमील** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी/अभियुक्त **आरिफ पुत्र स्व. मसलुद्दीन उर्फ मसलो** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J